मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण (एस0पी0ए0–आर0) की उच्च स्तरीय समिति (एच0पी0सी0) की बैठक दिनांक 29.07.2021 का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड/अध्यक्ष, विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण (SPA-R) की उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता में दिनांक 29 जुलाई, 2021 को वन विभाग के प्रस्ताव – **उत्तरकाशी में कालसीधार से बिंयाली–पटांगनी–खिमोत्रा वन मोटर मार्ग निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 294.95 लाख** तथा आपदा प्रबन्धन विभाग के प्रस्ताव – **श्री केदारनाथ धाम में 06 पुरोहित आवासीय भवनों (18 कमरे) के पुनरीक्षित आंगणन धनराशि रू0 430.37 लाख** पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में आपदा प्रबन्धन विभाग के सचिव श्री एस0ए0 मुरूगेशन, नियोजन विभाग/वित्त विभाग के प्रभारी सचिव डॉ0 वी0 षणमुगम, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री मयूर दीक्षित, वन विभाग की अपर सचिव श्रीमती नेहा वर्मा तथा राज्य योजना आयोग के संयुक्त निदेशक श्री दिनेश चन्द्र वर्मा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वन विभाग का प्रस्ताव :–

बैठक में वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2014 को नौरीगांव–कालसीधार–खिमौत्रा वन मोटर मार्ग के लिये रू0 275.00 लाख की धनराशि स्वीकृत /अनुमोदित की गयी। दिनांक 08.07.2014 को सम्पन्न HPC की उच्च स्तरीय बैठक में रू0 469.000 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी ।

वन विभाग द्वारा कालसीधार से बिंयाली–काण्डीधार–पटांगनी–खिमौत्रा (कि0मी0 01 से 45.56 कि0मी0 तक) के निर्माण कार्य हेतु रू0 549.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 27.02.2015 को टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत रू0 434.52 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2015 को रू0 434.52 लाख की अवमुक्त धनराशि की गयी। उपरोक्त निर्गत स्वीकृति रू0 434.52 लाख की धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि रू0 275.00 लाख ही अवमुक्त किये जाने के कारण, आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृति दिनांक 31.03.2015 (रू0 434.52 लाख) को निरस्त करते हुये दिनांक 21.11.2015 को पुनः रू0 275.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी ।

यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2014 में अवमुक्त धनराशि में 45.65 कि0मी0 मोटर मार्ग की मरम्मत/जीर्णोद्वार किया जाना संभव नहीं था। इसलिये कालसीधार से बिंयाली–काण्डीधार–पटांगनी–खिमौत्रा मोटर मार्ग कि0मी0 01 से 35 कि0मी0 के निर्माण हेतु दिनांक 24.02.2020 को संशोधित आगणन कुल रू0 369.65 लाख के प्रस्ताव को टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत रू0 294.95 लाख अनुमोदित किया गया। उक्त कार्ययोजना वर्ष 2019–20 में पूर्ण हो चुकी है।

विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु वर्ष 2014–15 में अवमुक्त धनराशि रू0 275.00 लाख एवं पुनरीक्षित आगणन माह फरवरी 2020 में टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत रू0 294.95 लाख के अनुमोदन के पश्चात उक्त कार्य हेतु वाँछित अतिरिक्त धनराशि (रू0 294.95 लाख–रू0 275.00 लाख = रू0 19.75 लाख) का समायोजन, अन्य योजना " खिमौत्रा सरनौल से सरूताल–हनुमान चट्टी ट्रैक मार्ग" की बचत धनराशि से भुगतान हेतु कार्येत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर HPC से अनुरोध किया गया।

समग्र विचारोपरांत विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण (SPA-R) की उच्च स्तरीय समिति द्वारा वन विभाग के प्रस्ताव " **उत्तरकाशी में कालसीधार से बिंयाली–पटांगनी–खिमोत्रा वन मोटर मार्ग निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 294.95 लाख"** पर अनुमोदन प्रदान करते हुये पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 275.00 लाख के अतिरिक्त वाँछित धनराशि रू0 19.75 लाख का व्यवर्तन, अन्य योजना "खिमौत्रा सरनौल से सरूताल–हनुमान चट्टी ट्रैक मार्ग" की बचत से, किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुये, प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

आपदा प्रबन्धन विभाग का प्रस्ताव :–

बैठक में आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि– श्री केदारनाथ धाम में 06 पुरोहित आवासीय भवनों (12 कमरें) के निर्माण कार्य पर दिनांक 20.11.2018 को HPC की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी, जिस पर आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 27.05.2019 के द्वारा कुल रू0 233.48 लाख की धनराशि स्वीकृति जारी की गयी। 06 भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने पर एक स्थान पर निर्माण किये जाने के दृष्टिगत पुनरिक्षित आगणन तैयार किया गया, श्री केदारनाथ धाम में 06 पुरोहित आवासीय भवनों (18 कमरें) की DPR लागत रू0 432.35 लाख के प्रस्ताव पर TAC द्वारा दिनांक 20.03.2020 को परीक्षणोपरांत रू0 430.37 लाख अनुमोदित की गयी।

प्रशासकीय विभाग के उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 21.08.2020 को HPC में विचार किया गया। बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव/अध्यक्ष विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण (SPA-R) की उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि "योजना के संबंध में पर्यटन विभाग से मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण संबधित आख्या प्राप्त कर समिति के समक्ष यथा शीघ्र प्रस्तुत की जाये"।

बैठक में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी0डी0एम0ए0 रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि श्री केदारनाथ धाम में निर्मित किये जाने वाले सभी भवनों को मास्टर प्लान के अनुरुप ही निर्मित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में पुरोहित आवासों का निर्माण भिन्न–भिन्न स्थानों में प्रस्तावित था। वर्तमान में मास्टर प्लान अन्तर्गत तक ही परिसर में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे निर्माण के कुल क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है।

समग्र विचारोपरान्त विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण (SPA-R) की उच्च स्तरीय समिति द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग के प्रस्ताव "**श्री केदारनाथ धाम में 06 पुरोहित आवासीय भवनों (18 कमरे) के पुनरीक्षित आंगणन धनराशि रू0 430.37 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

(डा0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या–878/165/HPC/रा0यो0आ0/2016–2017
देहरादूनः दिनांक 06 जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, प्रभारी सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
6. अपर सचिव, वन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
8. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(डा0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)